संख्या– 170/81–2–2022

प्रेषक,

आर०पी०सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2022

विषय– **जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कं०न० 14 अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, आर०ओ० एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 65 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं०–2198/11–सी–एफ०पी०/यू०पी०/डिस्प/49674/2020, दिनांक 24.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.10.2021 में की गयी अपेक्षा के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 2003 (गाइडलाइन्स एवं क्लरीफिकेशन्स) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

3– अतः कृपया उक्त गाइडलाइन के चैप्टर–1 के 1.15 एवं निर्धारित प्राविधानों के अनुसार परियोजना का परीक्षण कर विषयगत प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के कारणों सहित विस्तृत आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत परियोजना की मूल प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक– 2515 /11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च 03 ,2022

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित सूचना/आख्या एवं अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन द्वारा वांछित सूचना/आख्या एवं अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक– 4590 / मी०सं०/33 अप्रैल 19, 2022

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रसित
19/4/22
(प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र